(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 488–तीन/2014, विरूद्ध आदेश दिनांक 04–12–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक अपील 418/2011–12

निशांत साहू पुत्र श्री छोटेलाल साहू
निवासी जतारा तहसील जतारा,
जिला टीकमगढ़ म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा
जतारा, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री साकेत उदैनियॉ, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0एन0त्यागी, पेनल अभिभाषक, अनावेदक शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि खनिज निरीक्षक टीकमगढ़ के द्वारा जिलाध्यक्ष को आवेदक के विरूद्ध एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि वैरवार पहाड़ी शासकीय भूमि से आवेदक ने पत्थर, गिट्टी का अवैध उत्खनन किया है । इस पर जिलाध्यक्ष टीकमगढ़ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये । बाद में जिलाध्यक्ष जिला टीकमगढ़ द्वारा धारा 30 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ के समक्ष प्रकरण स्थानान्तरित कर दिया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा आवेदक को अवैध उत्खनन बावत नोटिस जारी किया जाकर

सुनवाई की गई । अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 19–5–2003 को निर्णय पारित किया जाकर रुपये 2,25,000/– रुपये अर्थदण्ड आरोपित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–5–2003 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 10/अपील/2004–05 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 14–5–2012 से आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–5–03 स्थिर रखा गया । कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–5–2012 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के यहॉ अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक अपील 418/2011–12 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 04–12–2013 से आवेदक की अपील निरस्त कर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–5–2012 स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–12–2013 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को विधिवत् साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं प्रकरण में आई साक्ष्य का विधि अनुरूप निरीक्षण नहीं किया गया है व स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य को अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया है, केवल निरीक्षण दल के सदस्यों के झूठे कथनों के आधार पर जुर्माना आवेदक पर अधिरोपित किया है जो विधि के सिद्धांत के विपरीत है । तर्क में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात को भी विचार में नहीं लिया कि आवेदक के विरूद्ध 2370 घनमीटर पत्थर का अवैध उत्खनन का प्रकरण बनाया गया है तथा एक माह पूर्व तक उत्खनन बताया है जो खसरा नम्बर 1136 की लीज दिनांक 4–12–2002 से प्रदान की गई थी तथा क्रेशर का निरीक्षण दिनांक 30–12–2002 को हुआ है । अपर आयुक्त न्यायालय ने अपने आदेश के पैरा कमांक 2 में स्वतः स्वीकार किया है कि खनिज विभाग ने निशांत साहू के नाम लीज दिनांक 17–12–2002 को पंजीयक जतारा के यहॉ उत्खनन पटटा विलेख पंजीकृत कराया तब भी निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षणकर्ता के क्रेशर का निरीक्षण 30–12–2002 को किया गया है यह तो दल के सदस्यों द्वारा भी स्वतः स्वीकार किया गया है फिर भी आवेदक के पत्थर को उसी की खदान जिसका वह लीजधारी है, से निकाला गया है । इस तथ्य को

नकारा नहीं जा सकता क्योंकि निरीक्षण दल द्वारा सर्वे नम्बर 1163 के संबंध में ही जप्ती पंचनामा संपादित किया गया है । खनिज निरीक्षक द्वारा जो प्रकरण बनाया गया है उसमें 5 साक्षियों के नाम दिये हैं उनमें से एक भी साक्षी को न्यायालय में परीक्षण नहीं कराया गया है तथा जो साक्षी प्रस्तुत किये गये है वह उन्हीं के दल के सदस्य है । खनिज निरीक्षक द्वारा जिस दिनांक को निरीक्षण किया गया उस समय क्रेशर संचालक निशांत साहू से कोई भी दस्तावेज न तो मॉगा गया और ना ही निरीक्षक दल द्वारा उनमें बाद में प्रस्तुत करने को कहा गया फिर भी आवेदक द्वारा समस्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर विचार किये बगैर आलोच्य आदेश पारित किया है । तर्क में यह भी आधार लिया कि निरीक्षण दल द्वारा जिस खदान का अवैध रूप से उत्खनन करना बतलाया गया है, जबकि वह खदान पूर्व से वर्ष 1988 से नीलाम होती चली आ रही है तथा वर्ष 1988 से 2002 तक जितना भी उत्खनन खसरा नम्बर 1136 की खदान में किया गया है उस सम्पूर्ण उत्खनन को मात्र एक माह का उत्खनन बताया है न ही नक्शा मौका बनाया गया और न ही पत्थरों की किस्म का मिलान प्रयोगशाला से प्रमाणित कराया गया है मात्र काल्पनिक सोच के आधार पर अपने कार्यालय में तैयार कर आवेदक पर विधि विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर विचार किये बगैर आलोच्य आदेश पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अपर आयुक्त द्वारा तथ्यों पर बगैर विचार किये जो आलोच्य आदेश दिनांक 4–12–2013 को पारित किया है वह निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करते हुये आवेदक के विरूद्ध की गई झूठी कार्यवाही से व्यथित होकर उनके विरूद्ध विधि अनुरूप जुर्माना अधिरोपित करने का निवेदन किया गया ताकि भविष्य में इस प्रकार की झूठी कार्यवाही निरीक्षण दल द्वारा न की जा सके ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यही कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि जो पत्थर व गिट्टी आवेदक के स्टोन क्रेशर पर उपलब्ध थी वह वैध तरीके से इस्तेमाल के लिये रखी गई थी क्योंकि अपर

आयुक्त ने अपने आदेश के पैरा 2 में स्वतः स्पष्ट किया है कि आवेदक की लीज दिनांक 17–12–2002 को रिनुअल हो चुकी थी और खनिज निरीक्षक व उनके निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 30–12–2002 को निरीक्षण के दौरान उपलब्ध खनिज पाया गया वह अवैध कैसे प्रमाणित किया क्योंकि प्रकरण में समस्त शासकीय गवाहों के अलावा अन्य कोई स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य नहीं कराये गये हैं । कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा भी प्रकरण में आये दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन नहीं किया गया है क्योंकि अभिलेख पर उपलब्ध लीजडीड के अवलोकन से स्पष्ट है कि लीजडीड आवेदक के लिये रिनुअल हो चुकी थी और जिस खदान के पत्थर से उत्खनन करना खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया है वह खदान वर्ष 1988 से लीज पर शासन द्वारा दी जाती रही है तथा वर्ष 1995 से आवेदक के आधिपत्य में लीज होती रही है । खनिज निरीक्षक द्वारा आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 247(7) के अन्तर्गत विधि का सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति जो विधि अधिकार के बिना किसी ऐसी खान या खदान से जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है तथा सरकार द्वारा समुदेशित नहीं किया गया है, खनिजों को निकालेगा या हटायेगा तो वह किसी अन्य कार्यवाही पर जो कि उसके विरूद्ध की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर के लिखित आदेश पर ऐसी शास्ती का भुगतान करने का दायी होगा । जो इस प्रकार निकाले गये या हटाये गये खनिजों के बाजारू मूल्य के दुगुने के हिसाब से संगणित राशि से अधिक नहीं होगी । परन्तु इस प्रकार संगणित राशि एक हजार रुपये से कम हो तो कलेक्टर ऐसी उच्च राशि की शास्ती अधिरोपित कर सकेगा जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगी । विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्ष 2005 राजस्व निर्णय 107 सुरेन्द्र सिंह तथा एक अन्य विरूद्ध म0प्र0राज्य तथा वर्ष 1994 राजस्व निर्णय 241 श्री अर्जुनदास विरूद्ध म0प्र0शासन व वर्ष 1980 रजस्व निर्णय 121 हरीश भाई विरूद्ध म0प्र0राज्य के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये जिससे स्पष्ट है कि अवैध उत्खनन को सिद्ध करने का भार शासन के ऊपर होता है व अनुविभागीय अधिकारी बिना दोष सिद्ध किये अपने मन से अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं कर सकता । इस प्रकरण में भी शासन दोष सिद्ध करने में असफल रहा है । अतः विधि के प्रावधान के अनुसार भी खनिज निरीक्षक द्वारा जो कार्यवाही आवेदक के विरूद्ध की गई है वह वैधानिक नहीं है । खनिज निरीक्षक द्वारा जो प्रकरण बनाया गया है जिसमें 5 साक्षियों के नाम व पंचनामे पर खनिज जप्त करते समय हस्ताक्षर लिये गये उनके अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष ब्यान नहीं कराये गये है तथा

न्यायदृष्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उत्खनन के प्रकरणों में प्रमाण का भार शासन पर होता है। अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र शासकीय निरीक्षण दल के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं उनको आधार मानकर व आवेदक को बगैर सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना 2,25,000/– रुपये का अर्थदण्ड आरोपित करने संबंधी जो आदेश पारित किया है वह उचित नहीं है व कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा इसी आदेश को स्थिर रखकर जो आदेश दिनांक 14–05–2012 एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–12–2013 को पारित किया है, त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–5–03 तथा कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–05–2012 एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश 04–12–2013 निरस्त किये जाते हैं व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक पर लगाया गया अर्थदण्ड निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर